यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ,(सिग्नेचर भवन (
चतुर्थ तल-टावर ,4 रगोमतीनगर विस्ता ,, लखनऊ -2260 27

फोन- 0522- 2668053, फैक्स 0522- 2668054
ई मेल -dirtraffic@nic.in

संख्या: डीटी-356-2022/

दिनांक: अगस्त 08, 2022

सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश :-

क्या करें,

1. दोपहिया वाहन चालक व पीछे बैठी सवारी हेलमेट का प्रयोग करें।
2. चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
3. स्टॉप लाइन, जेब्रा क्रासिंग का प्रयोग सही से करें।
4. रात्रि में डिपर का प्रयोग करें।
5. वाहन से वाहन की बीच उचित दूरी बनाये रखें।
6. आवश्यकता पड़ने पर उचित स्थान पर ही हार्न का प्रयोग करें।
7. वाहन चलाते समय यातायात नियमों, संकेतों एवं चिन्हों का पालन करें।
8. अपनी ही लेन में चलें।
9. दिशा बदलने एवं मोड़नें के लिए संकेतो का प्रयोग करें।
10. एकल दिशा मार्ग का पालन करें।
11. मार्ग में आकस्मिक कारणों/विषम परिस्थिति में वाहन पार्क करने पर पार्किंग लाइट का प्रयोग करें।
12. एम्बुलेंस व अन्य आकस्मिक सेवा सम्बन्धी वाहनों को रास्ता दें।

क्या न करें,

1. रेड लाइट सिग्नल (लाल बत्ती) संकेत का उल्लंघन न करें।
2. जिग–जैक मोशन ड्राइविंग न करें।
3. प्रतिबन्धित क्षेत्र में, प्रतिबन्धित समय में, प्रतिबन्धित वाहन लेकर प्रवेश न करें।
4. बेतहाशा एवं खतरनाक ढंग से या तेज गति से वाहन न चलाएं।
5. वाहन को नशे की हालत में न चलाएं।
6. बिना संकेत दिये या इण्डीकेटर का प्रयोग किये वाहन को अचानक दाहिने या बायें न मोड़े।
7. वाहन चालक चौराहों से 50 मीटर अन्दर व बीच सड़क पर सवारी न चढ़ायें न उतारे।
8. वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें।
9. प्रतिबन्धित क्षेत्र में हार्न का प्रयोग न करें।
10. सड़क पर स्टंट न करें।
11. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाये।
12. वाहनों पर प्रतिबन्धित प्रेशर हार्न न लगायें
13. वाहनों पर अपारदर्शी, ब्लैक फिल्म न लगायें।